न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस अपील

संख्या– आरटीए / 256 / 2016

उनवान

1. रामचन्द्र पुत्र ऊंकार दरोगा निवासी महुआ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. सीता पुत्र छोटु नाथ
2. नन्दू पुत्री छोटूनाथ
3. जडाव बेवा छोटूनाथ
4. भूरी बेवा बरदानाथ (लाऔलाद फौत नाम डिलिट 5.4.2018)
5. सेवली बेवा सोहननाथ समस्त जाति नाथ बावजी निवासी मुकनगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
6. होकमनाथ पुत्र प्रभूनाथ
7. रंगनाथ पुत्र प्रभूनाथ
8. चेतननाथ पुत्र प्रभूनाथ
9. ठमा पुत्री प्रभूनाथ
10. लीला पुत्री प्रभूनाथ
11. सन्नू पुत्री सोहननाथ समस्त जाति नाथ बावजी निवासी दानजी का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 59 / 2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.6.2016

अभिभाषक : 1. श्री आर सी सारस्वत , अधिवक्ता अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2.श्री गौतम चन्द्र अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1, 2
3. एक्स पार्टी प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 व 5से 11

आदेश

दिनांक 12.4.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मुकनगढ पटवार हल्का श्रीनगर की सरहद में आराजी नम्बर 206 रकबा 5 बीधा 17 बिस्वा, 220 रकबा 2 बीघा आराजी नम्बर 221 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 222 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम पर दर्ज है। वादीगण और प्रतिवादी संख्या 1 का पारिवारिक सजरा निम्न है :–

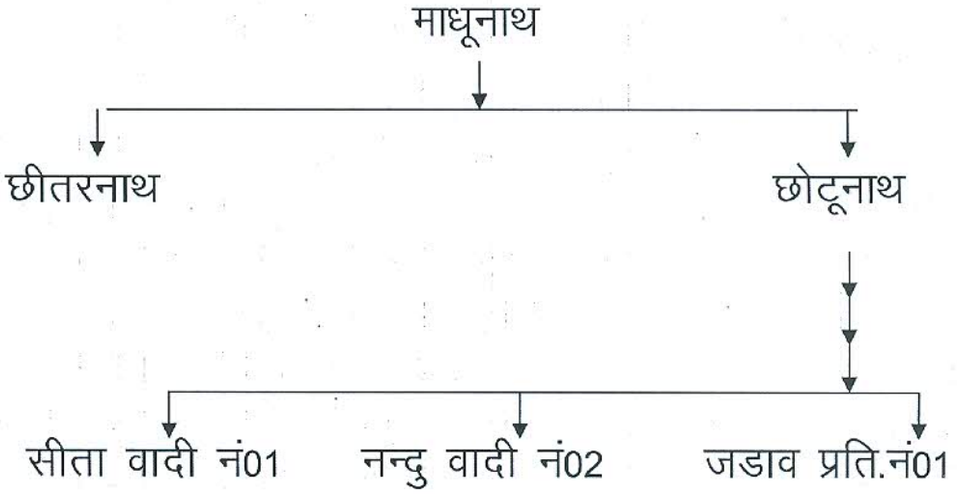

2. वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के पिता छोटूनाथ पिता माधूनाथ के नाम दर्ज चली आ रही थी। छोटूनाथ पिता माधूनाथ की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजियात का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नामान्तरकरण विरासत से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड किया जाना चाहिये था परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा छोटूनाथ के वारिसान की सही जानकारी किये बिना प्रतिवादी नम्बर 1 से मिलीभगत कर वादग्रस्त आराजियात अकेले प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज कर दी जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादिया का खातेदारा छोटूनाथ की पुत्रियॉ होने से प्रथम श्रेणी की वारिस होकर प्रत्येक वादिया का 1/12, 1/12 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिये था। वादग्रस्त आराजियात में कानूनन वादीगण का 1/12, 1/12 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का गलत तौर पर खातेदार दर्ज किया गया है। वादीगण का प्रत्येक का वादग्रस्त आराजियात में अपने पिता की मृत्यु के समय से ही 1/12 , 1/12 हिस्से पर कब्जा होकर वे काश्त कर रही है। दिनांक 13.3.2013 को उक्त पुश्तैनी आराजियात पर खडी गैहूँ की फसल की पिलाई करने हेतु गई तो प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर वादीगण को धमकाया कि इस आराजियात में तुम्हारा कुछ नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजियात को अन्य को विक्रय करने की धमकी दी एवं वह वादीगण को वादग्रस्त आराजियात से बेदखल करने की भी धमकी दी । अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजियात में वादीगण प्रत्येक को 1/12, 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण को उनके कब्जे से बेदखल नहीं करें एवं न हीं किसी अन्य को वादग्रस्त आराजियात का विक्रय करे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं प्रत्यर्थीगण के बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 23.2.2018 को एकतरफा कार्यवाही की गई तथा अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने दिनांक 25.10.2016 को प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की । उभयपक्ष पक्ष की बहस सुनी गई एवं प्रारंभिक आपत्ति दिनांक 15.11..2016 को खारिज की गई। जिसके उपरान्त अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही गई। साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया । उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार कर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 27.12.2016 को स्वीकृति प्रदान की गई एवं इसी दिनांक 27.12.2016 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की गई।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 जडाव बेवा छोटूपाथ द्वारा ग्राम मुकनगढ स्थित कषि भूमि खसरा संख्या 206,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

220, 221 व 222 कुल रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि में निहित अपना समस्त हक हिस्सा तथा खसरा संख्या 224 गैर मुमकिन चाह में अपना हिस्सा अपीलार्थी को मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त कर पंजीकृत विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 8.3.2013 के द्वारा विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया । इसके उपरान्त अपीलार्थी इस भूमि का जडाव के स्थान पर खातेदार काश्तकार हो गया । तत्पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के न्यायालय में एक वाद दिनांक 19.3.32013 को अपीलार्थी की क्रय सुदा भूमि बाबत प्रस्तुत कर विक्रेता जडाव बेवा छोटूनाथ के अधिकारों को आक्षेपित किया तथा स्वयं को खातेदार घोषित करने की प्रार्थना की । प्रतिवादी संख्या 1 जडाव ने वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया तथा वाद पत्र के कथनों को इंकार करते हुए अंकित किया कि वाद पत्र मं अंकित भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 जडाव ने वाद प्रस्तुत करने से पूर्व 8.3.2013 को संयुक्त परिवार की कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रामचन्द्र पुत्र ऊंकार दरोगा को कर दिया था तथा छोटूनाथ की विरासत को पूर्व में एक वाद संख्या 139/2005 में आक्षेपित कर विवाद उत्पन्न किया तथा उक्त वाद का निर्णय दिनांक 24.9.2012 को कर दिया गया तथा पूर्व वाद में वर्तमान वादग्रस्त भूमि को सम्मिलित नहीं किया अर्थात वर्तमान भूमि बाबत जडाव के अधिकारों को स्वीकार किया इस कारण आदेश 2 नियम 3 सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान वाद बाधित होने का कथन किया । ये सभी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में होने के बावजूद अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था तथा आगामी पेशी पर विक्रेता जडाव ने दुरभि संधि कर दिनांक 1.6.2016 को अपने बयानों में सहमति प्रदान कर निर्णय व डिक्री दिनांक 1.6.2016 पारित करवा दी।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजियात में प्रत्यर्थी संख्या 3 जडाव बेवा छोटूनाथ से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया उसमें अपीलार्थी को वादग्रस्त भूमि का बिकाव करने का तथ्य अंकित किया था। अधीनस्थ न्यायालय में इस बिन्दु पर कोई विचारण नहीं किया गया । अपीलार्थी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था। जिसे पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया था। राजस्व लोक अदालत कैम्प श्रीनगर में नियत तारीख पेशी को विक्रेता जडाव ने दुरभि संधि कर दिनांक 1.6.2016 को अपने बयानों में सहमति प्रदान कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली थी। चूंकि अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

8. हमने अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं था। जबकि वादग्रस्त आराजियात अपीलार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये तत्कालीन खातेदार जडाव बेवा छाटूनाथ/प्रत्यर्थी संख्या 3 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब दावे में भी तथ्य अंकित किये गये थे। चूंकि अपीलार्थी प्रकरण में आवश्यक हितबद्ध पक्षकार था। जिस संबंध में संपूर्ण तथ्य ही रेकार्ड पर था।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जिसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अज सिरे नो निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

9. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.6.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हैं कि प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर उपलब्ध साक्ष्य, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.06.18को उपस्थित रहे।

10. निर्णय आज दिनांक 12.4.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

12/4/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा